न्यायालय, अनन्य विशेष उत्पाद न्यायालय-I, भोजपुर आरा।
जगदिशपुर थाना अप्राथमिकी संख्याः—135/2022
सी0आई0एस0 उत्पाद वाद संख्या—3572/2022

<u>आदेश</u>

<u>17.12.2022</u> प्रथम सूचना प्रपत्र प्राप्त हुआ। देखा। कार्यालय लिपिक को आदेश दिया जाता है कि इसे पंजीबद्ध करें।

अभियुक्त**—1.जितेन्द्र सिंह पिता सुरेन्द्र सिंह सा0 जगदिशपुर थाना—जगदिशपुर जला—भोजपुर** को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 की धारा 37 के अंतर्गत गिरफ्तार कर उचित मार्ग रक्षा दल के सदस्यों के साथ न्यायालय में ब्रेथ एनालाईजर रिपोर्ट/साक्ष्य, ज्ञात/अग्रसारण प्रतिवेदन एवं प्रपत्र VI के साथ प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त पुलिस बल के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं करते हैं तथा उनकी गिरफ्तारी की सूचना उनके घरवालों को दी गई। अभियुक्त को बताया गया कि उसे अपने बचाव करने का पूरा अधिकार है। आर्थिक विपन्नता की स्थिति में उसे सरकारी अधिवक्ता नियुक्त की जायेगी परन्तु अभियुक्त द्वारा अपना दोष स्वीकार किया गया तथा इस संबंध में प्रपत्र VI क प्रस्तत किया गया।

अभिलेख तथा अभियुक्त द्वारा दाखिल प्रपत्र VI क का अवलोकन किया गया। अभियुक्त को इनके दोष स्वीकार के आधार पर रूपये**—5000/—** के अर्थदंड में दंडित किया जाता है तथा अर्थदंड अदा न किये जाने पर 30 दिन का साधारण कारवास से दंडित किया जाता है।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश-I
भोजपुर, आरा।

अभियुक्त **जितेन्द्र सिंह** की ओर से मो0**—5000/—** रू0 अर्थदंड राशि प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रविष्टि फाईन चेक बुक संख्या **683736** है तदोपरांत अभियुक्त को मुक्त किया गया। तत्पश्चात् वाद की कार्रवाई समाप्त की गई कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि अर्थदंड की राशि नजारत में जमा कर रसीद अभिलेख के साथ संलग्न करें। कार्यालय प्रावधानिक अवधि के बाद अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश-I
भोजपुर, आरा।